

फर्द अहकाम

दीपशिखा बनाम कन्हैयालाल वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या...122/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
04.10.2021	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से जरिये वकील पेश किया गया। वकील प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। प्रस्तुत प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए अपने कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी के विधिक हक अधिकार निहित है, जो कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के निहित विधिक हक अधिकारों की भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन, तारबन्दी बेदखली किया जाकर प्रार्थीगण के विधिक हक अधिकारों पर कुटाराघात करने व प्रार्थी के विधिक अधिकारों में हस्तक्षेप किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। उपरोक्त कथनों सहित अपनी बहस में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण का जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया है।</p> <p>हमने प्रस्तुत प्रा0 पत्र, शपथ पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 को जरिये अनारिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम थोलाई में कृषि भूमि खसरा नं0 51,88,665,818,92,93,105,658,662,663,664,99,104 / 4 अनुसार भूमियों में वर्तमान मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा बैचान, रहन, मुख्तयारनामा, वसीयत, नहीं करे, निर्माण नहीं करे तथा प्रार्थी के हिस्से कब्जे व कृषि उपयोग उपभोग में बाधा, देखल नहीं करे। मौके पर प्रार्थी की भूमि में जबरन कब्जा तारबन्दी नहीं करे। उक्त कार्य अप्रार्थीगण ना तो स्वयं करे एवं ना ही अन्य से करावे। यदि उक्त आदेश से किसी को कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो तथा स्टे आदेश की प्रति पलायनार्थ तहसीलदार व संबंधित थानाधिकारी को मिजवाया जावे एवं तलवी अप्रार्थीगण की जारी कर पत्रावली दिनांक 25.11.2021 को पेश हो।</p> <p>25/11/21</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के सग जॉनर 2021 कम्प्लेंट में पेश हुई। उन पत्रों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/12/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के सग जॉनर 2021 कम्प्लेंट में पेश हुई। उन पत्रों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/12/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>8/12/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के सग जॉनर 2021 कम्प्लेंट में पेश हुई। उन पत्रों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/12/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>18/12/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के सग जॉनर 2021 कम्प्लेंट में पेश हुई। उन पत्रों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/12/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>18/12/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के सग जॉनर 2021 कम्प्लेंट में पेश हुई। उन पत्रों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/12/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p> <p>18/12/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के सग जॉनर 2021 कम्प्लेंट में पेश हुई। उन पत्रों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/12/22 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर जमवारामगढ़ (जयपुर)</p>

14/5/22

जमवारा मगढ़, जयपुर

14/5/22

प्राचीन की ओर से प्राचीन पत्र
 वास्तु तालिका परेश सिद्धि
 जाई से पत्रावली साज दिनांक
 पेश हुई प्राचीन पत्र शास्त्रिन
 निम्न होकर बाई अक्षि दिनांक
 14/5/22 का पेश है।

सहायक

जमवारा मगढ़, जयपुर

14/5/22

पत्रावली साज राष्ट्रीय लोक अकादमी
 के पेश हुई प्राचीन के संबंधित
 मूल वाद को सिद्धी कर लिया है।
 अतः प्राचीन पत्र CR Act 1955 की धारा
 212 का सार्वजनिक का कोई औचित्य
 नहीं है। प्राचीन के साथ शुक्र होकर
 नमक से का है, दालिन इष्ट है।

सहायक

जमवारा मगढ़, जयपुर